

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये गये आवश्यक निर्देश।

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की जा रही है, जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 23.03.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावती प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।



थाना चरखारी पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन **2024** के दृष्टिगत जनपद में कानून/शान्ति व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु अवैध शराब का निष्कर्षण, परिवहन की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा गठित टीम के उ0नि0 उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय मय हमराह हे.का.सुशील कुमार थाना चरखारी जनपद महोबा द्वारा 01 नफर अभियुक्त अनिल कुमार राजपूत पुत्र सुघर सिंह उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम नटरा थाना चरखारी जनपद महोबा को एक प्लास्टिक के झोले में 20 अदद देशी क्वार्टर नाजायज देशी शराब ठेका ब्राण्ड ब्लू फ्लैग के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 59/2024 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

2-उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय मय हमराह

1-का.सुशील कुमार थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

अनिल कुमार राजपूत पुत्र सुघर सिंह उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम नटरा थाना चरखारी जनपद महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद के समस्त GO's/SHO's/SO's गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल गोष्ठी की गयी। त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु दिए गये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश।

दिनांक 22.03.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा आगामी त्यौहारों के दौरान जनपद महोबा में शान्ति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारियों के साथ गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल गोष्ठी करते हुए त्यौहारों को सौहार्दपूर्ण माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में समस्त पुलिस अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिये गये।

○ वर्चुअल गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत लगी हुई आदर्श आचार संहिता के क्रम में आगामी त्यौहारों पर विशेष संवेदनशीलता बरतते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के लिये जनपद को 03 जोन में विभाजित किया गया है।

○ जनपद में विभिन्न होलिका दहन, होली खेले जाने वाले स्थलों सहित पुराने विवादों की समीक्षा करते हुए विभिन्न संवेदनशील हॉटस्पॉट स्थलों (मिश्रिम आबादी वाले स्थल, पूर्व में हुए विवादों के स्थल इत्यादि) का चिन्हीकरण किया गया है जिसके क्रम में सभी हॉटस्पॉट स्थलों में नामवार पुलिस प्रबन्ध किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

○ जनता को त्यौहारों के दौरान भयमुक्त माहौल प्रदान किये जाने व अराजकतत्वों पर पैनी रखे जाने के उद्देश्य से **UP-112** पीआरवी वाहनों का रि-डिम्प्लॉयमेंट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

○ प्रत्येक मंदिर, मस्जिद, मजारों में भारी पुलिस बल की नामवार ड्यूटी लगाई जाने सभी को ब्रीफ किये जाने के साथ-साथ सभी क्षेत्राधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहने के निर्देश दिये गये हैं।

○ यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखते हुए, विभिन्न चिन्हित स्थलों में यातायात पुलिस टीम की नामवार ड्यूटियां लगाने व बैरियर लगाकर तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही तथा शराब के नशे में हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

○ प्रभारी स्थानीय अभिसूचना इकाई को क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर, सूचना तंत्र को विकसित किये जाने तथा किसी भी संवेदनशीलता पर तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

○ अग्निशमन टीम को एलर्ट मोड में रखा गया है, जिससे कहीं भी आग लगने की सूचना पर तत्काल घटना स्थल पहुंच आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने तथा अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में पुलिस/प्रशासन एवं अर्धसैनिक बल के साथ विभिन्न संवेदनशील स्थलों में संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च/एरिया डोमिनेशन किया गया। क्षेत्र में भयमुक्त माहौल बनाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के लिये किया गया जागरूक।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही के साथ-साथ जनपद में पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता का पालन शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराये जाने के क्रम में आज दिनांक 23.03.2024 को उपजिलाधिकारी नगर श्री जितेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा के नेतृत्व में केन्द्रीय पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली नगर क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न संवेदशील मोहल्लो/ग्रामों, वल्लनरेबिल/क्रिटिकल ग्रामों/मतदेय स्थलों में संयुक्त रूप से फ्लैगमार्च कर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटों/अराजकतत्वों को भी चेक करते हुए सख्त हिदायत दी गयी।

- इस दौरान थानाक्षेत्र की जनता से वार्ता कर संवाद स्थापित किया गया एवं आगामी लोकसभा चुनाव के सम्बंध में मा0 निर्वाचन आयोग के आदेशों-निर्देशों से अवगत कराया गया तथा क्षेत्र में भयमुक्त माहौल बनाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में जनता से निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान करने की अपील की गई।
- उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.03.2024 को आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव आयोग द्वारा जनपद महोबा में शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया संपादित कराये जाने हेतु CRPF की 01 कंपनी का जनपद महोबा आगमन होने पर बुके भेंट कर सभी का माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया गया साथ ही सभी को जलपान कराया गया।



थाना अजनर की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ

01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्योंहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 23.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में श्री प्रवीण कुमार, थानाध्यक्ष अजनर द्वारा गठित की गई उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी व का0 सुयश दुबे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखिबर खास की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र वीरन रैकवार उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम आरी थाना अजनर जनपद महोबा को हिरासत में लिया गया। अभियुक्त की जामातलाशी पर कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना अजनर में मु.अ.सं. 57/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया व अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

धर्मेन्द्र पुत्र वीरन रैकवार उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम आरी थाना अजनर जनपद महोबा।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी
2. का0 सुयश दुबे



थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्र्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 23.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महोबा द्वारा गठित की गई उ0नि0 मिथिलेश मिश्रा व उ0नि0 महेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने द्वारा तलाश वाँछित/वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान एक नफर वारण्टी अभियुक्त शेखर पुत्र लल्लू शर्मा उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम डढतमाफ थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा सम्बन्धित वारण्ट मु0न0 602699/11 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के वारण्टी अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।।

गिरफ्तार अभियुक्त-

शेखर पुत्र लल्लू शर्मा उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम डढतमाफ थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 मिथिलेश मिश्रा प्रभारी चौकी पसवारा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा
2. उ0नि0 महेश सिंह चौकी पसवारा
3. कां0 राजकुमार



थाना कोतवाली महोबा की पुलिस टीम ने फायरिंग से सम्बन्धित

तीसरे वाँछित अभियुक्त को अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्योंहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 23.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा द्वारा गठित की गई उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान वाँछित मु0अ0सं0-139/2024 धारा 153(क)(2)/504/286 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त हेमन्त श्रीवास पुत्र स्व0 नवल किशोर श्रीवास उम्र 24 वर्ष निवासी मोहल्ला भीतरकोट थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को हिरासत में लिया गया। अभियुक्त की जामातलाशी पर अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा में मु0अ0सं0- 150/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व बरामदगी, आपराधिक विवरण -

वाँछित मु0अ0सं0-139/2024 धारा 153(क)(2)/504/286 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त हेमन्त श्रीवास पुत्र स्व0 नवल किशोर श्रीवास उम्र 24 वर्ष निवासी मु0 भीतरकोट थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल प्रभारी चौकी सुभाष थाना कोतवाली नगर जिला महोबा
2. हे0कां0 रावेन्द्र सोनकर।



थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने गैंगेस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्र्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराधों में लिप्त अपराधियों तथा शांतिर अपराधियों के किये जा रहे सत्यापन एवं गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 23.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्रीमती हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में श्री भास्कर मिश्र, प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मय हमराह का० दिनेश सिंह, कां० राजेश कुमार की मदद से गैंगेस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त फूल सिंह पुत्र गजराज उम्र 24 वर्ष निवासी नयापुरा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा सम्बन्धित मु०अ०सं० 107/2024 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट को श्रीनगर तिराहा कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया गया ।

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

1. निरीक्षक भास्कर मिश्र
2. का० दिनेश सिंह
3. कां० राजेश कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास-

फूल सिंह पुत्र गजराज उम्र 24 वर्ष निवासी नयापुरा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

आपराधिक इतिहास- मु.अ.सं. 226/2023 धारा 454/380/411 भादवि थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा।



थाना कुलपहाड की पुलिस टीम ने अवैध शराब व अवैध शराब बनाने के उपकरणों/भट्टी के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्रैवार्य एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एवं परिवहन की रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 23.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री भास्कर मिश्र के द्वारा गठित की गई उ.नि. शेरे आलम खां मय हमराह म0उ0 रीता मौर्या, हे0का0 सोम सिंह व का0 इन्द्रपाल चौहान के नेतृत्व में 01 नफर अभियुक्त श्रीमती पूजा कबूतरा पत्नी वीरेन्द्र कबूतरा निवासी कबूतरा डेरा मुढारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा उम्र करीब 35 वर्ष को मुढारी कबूतरा डेरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा कब्जे से 50 लीटर कच्ची देशी शराब, तथा शराब बनाने के उपकरण जिसमें 02 पतीला, 01 प्लास्टिक की पाइप नाजायज बरामद हुआ व दो ड्रम में करीब डेढ़ कुन्टल लहन मौके पर नष्ट किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त पूजा उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुलपहाड़ मे मु0अ0सं0 108/2024 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का विवरण:-

श्रीमती पूजा कबूतरा पत्नी वीरेन्द्र कबूतरा निवासी कबूतरा डेरा मुढारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा उम्र करीब 35 वर्ष

अभियुक्त से बरामद माल का विवरण:-

50 लीटर कच्ची देशी शराब तथा बनाने के उपकरण जिसमें 02 पतीला, 01 प्लास्टिक की पाइप नाजायज बरामद हुआ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ.नि. शेरे आलम खां
2. म0उ0नि0 श्रीमती रीता मौर्या
3. हे0का0 सोम सिंह
4. का0 इन्द्रपाल चौहान



थाना खन्ना की पुलिस टीम ने 04 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्योंहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 23.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री नागेन्द्र कुमार नागर द्वारा गठित की गई संयुक्त पुलिस टीम ने मुखबिर खास कि सूचना पर 04 नफर वारंटी अभियुक्तगण क्रमशः 1.रफीक अहमद पुत्र बसीर अहमद नि. ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र खरीब 37 वर्ष सम्बन्धित मु.नं.18/22 धारा एफएस एक्ट न्यायालय एसजे एफटीसी बांदा 2.संतोष पुत्र भुरा प्रजापति नि. ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र करीब 42 वर्ष सम्बन्धित परिवाद सं.1055/12 धारा 4/21 एमएम एक्ट न्यायालय सीजेएम महोबा 3.भूरा उर्फ ब्रजेन्द्र पुत्र जयप्रकाश तिवारी नि. ग्राम तिन्दुही थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र करीब 38 वर्ष 4.जयप्रकाश तिवारी पुत्र शिवबालक तिवारी नि. ग्राम तिन्दुही थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र करीब 64 वर्ष सम्बन्धित परिवाद सं. 95/22 धारा 452/147/149/323/504/427 भादवि व 3(1)द,3(1)ध,3(2)va SC/ST ACT सम्बन्धित मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्याधीश एससीएसटी महोबा द्वारा निर्गत वारण्ट के क्रम में ग्राम खन्ना व बहद ग्राम तिन्दुही से नियनुसार गिरफ्तार किया गया। बाद गिरफ्तारी वारंटी अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा गया

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रफीक अहमद पुत्र बसीर अहमद नि. ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र खरीब 37 वर्ष
2. संतोष पुत्र भुरा प्रजापति नि. ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र करीब 42 वर्ष
3. भूरा उर्फ ब्रजेन्द्र पुत्र जयप्रकाश तिवारी नि. ग्राम तिन्दुही थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र करीब 38 वर्ष
4. जयप्रकाश तिवारी पुत्र शिवबालक तिवारी नि. ग्राम तिन्दुही थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र करीब 64 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ.नि. राधेश्याम सिंह
2. उ. नि. श्यामजी यादव
3. कां हरनाम 4.पीआरडी धर्मेन्द्र कुमार





थाना अजनर महोबा की पुलिस टीम निरोधात्मक कार्यवाही **H.S.**

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्योंहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन **2024** के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक **23.03.2024** को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में उ०नि० श्री प्रवीण कुमार, थाना प्रभारी अजनर द्वारा गठित की गई टीम उ०नि० हरीशंकर यादव व का० विक्की चौधरी द्वारा, अपनी पुरानी खुन्नस व अलग अलग राजनैतिक पार्टियों के प्रत्यासियों के समर्थन को लेकर लड़ाई झगड़ा करने पर ग्राम रजपुरा थाना अजनर जनपद महोबा से दो नफर अभियुक्तगण क्रमशः **1.** हरीसिंह पुत्र देवसिंह उम्र **36** वर्ष नि० ग्राम रजपुरा थाना अजनर जनपद महोबा **2.** प्रहलाद सिंह पुत्र देव सिंह उम्र **35** वर्ष नि० ग्राम रजपुरा थाना अजनर जनपद महोबा को अंतर्गत धारा **151/107/116** सी.आर.पी.सी. संबंधित मु.सि.सि.नं. **102/102ए/2024** पर गिरफ्तार कर अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी।

गिरफ्तार/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० हरीशंकर यादव

2. का0 विककी चौधरी

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. हरीसिंह पुत्र देवसिंह उम्र 36 वर्ष नि0 ग्राम रजपुरा थाना अजनर जनपद महोबा